

## कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर आदेश

निम्नांकित कार्मिक जो प्राध्यापक स्कूल शिक्षा राजनीति विज्ञान के रूप में उनके नाम के सम्मुख विद्यालयों / संस्था में कार्यरत हैं, को अधिवार्षिकी की आयु पूर्ण कर लेने पर उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 05 से अंकित तिथि से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) एवं समकक्ष मय पदस्थापन स्थान (राजमावि) श्री/ सुश्री/ श्रीमती	जिला	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5
1.	भैरूलाल सुमन, राजमावि कोयला	बारां	15.05.1958	31.05.2018
2.	जीवनलाल नागर, राजमावि कोटारोड	बारां	02.06.1958	30.06.2018
3.	अब्दुल गफ्फार, राजमावि मांगरोल	बारां	01.07.1958	30.06.2018
4.	लक्ष्मण लाल पुरोहित, राजमावि खमनोर	राजसमंद	05.07.1958	31.07.2018
5.	रामगोपाल सुमन, राजमावि कलमंडा	बारां	02.07.1958	31.07.2018
6.	विजयसिंह, राजमावि लाछडसर	चूरु	16.08.1958	31.08.2018
7.	रमेशचन्द्र गडासिया, राजमावि, खडैरा, सेवर	भरतपुर	30.09.1958	30.09.2018
8.	रामलाल बसीटा, रा.व्या.उ.मा.वि. नसीराबाद	अजमेर	21.12.1958	31.12.2018
9.	कन्हैयालाल पूरबिया, राजमावि बनेडिया, रेलमगरा	राजसमंद	03.02.1959	28.02.2019

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।

राजस्थान सिविल सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम- 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।

कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।

नोट:- सेवानिवृत्ति दिनांक तक कार्मिकों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कार्यवाही होती है, तो संस्था प्रधान तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें ।

  
(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर


क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-6/राज.विज्ञान/सेवानिवृत्ति/2018-19/2018

दिनांक:-

17-5-2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग .....
2. उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग -----
3. उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा .....
4. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा .....
5. संबंधित संस्था प्रधान.....
6. संबंधित कार्मिक
7. अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर
8. निजी/रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## आदेश

श्री लादूलाल मीणा- निलंबित व्याख्याता राजनीति विज्ञान जो 29.11.2017 से निलम्बन पर मुख्यालय निदेशालय में उपस्थिति दे रहे थे । विभागीय जांच अनुभाग के आदेश क्रमांक शिविरा/ माध्य/वि.जाँच/11150/एल-41/17/51 दिनांक 30.04.2018 के द्वारा श्री लादूलाल मीणा व्याख्याता राजनीति विज्ञान को विभागीय जांच बकाया रखते हुए बहाल किये जाने पर इनका पदस्थापन तत्काल प्रभाव से राउमावि अलिगढ, उनियारा टोंक किया जाता है । इन्हें आज दिनांक 17.05.2018 को कार्यमुक्त करते हुये निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी आगामी उपस्थिति दिनांक 25.05.2018 तक संबंधित विद्यालय में आवश्यक रूप से देवें ।



(नथमल डिडेल)

IAS

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/सी-6/रावि/लादूलाल मीणा/2018  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक:- 17/5/18

1. संबंधित उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा.....
2. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक.....
3. अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु
4. प्रधानाचार्य, राउमावि अलिगढ-उनियारा, टोंक को देकर निर्देशित किया जाता है कि कार्यग्रहण करते ही तत्काल शाला दर्पण पर अपडेट करवाया जाना सुनिश्चित करावें
5. संबंधित कार्मिक श्री लादूलाल मीणा व्याख्याता राजनीति विज्ञान को पालनार्थ
6. रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर